

**Jammu and Kashmir
Pollution Control Committee**

chairman87jkspcb@gmail.com
membersecretaryjkspcb@gmail.com

0191 – 2472881, 2476925



Parivesh Bhavan, Forest Complex
Transport Nagar, Jammu, 180 006

Silk Factory Road
Rajbagh, Srinagar, 190 008

CIRCULAR

Central Pollution Control Board (CPCB), New Delhi has categorized different industrial sectors into Red, Orange, Green and White categories, vide directions dated 7th March, 2016. Categorization of new or leftover industrial sectors is to be carried out by respective PCBs / PCCs based on the revised criteria and guidelines prescribed by CPCB. J&K PCC has constituted a technical committee for categorization of new / leftover industries vide **Order No. 119 JK PCC of 2023 Dt. 21.09.2023.**


In view of above, the following instructions are hereby issued for strict adherence by all concerned:-


- i. Divisional Officers, PCC, Jammu / Kashmir must advise the applicants regarding the correct industrial category and sector as applicable to be selected while applying on on-line portal based on the proposed line of activity as provided in the Detailed Project Report (DPR). If the activity / category of the industry selected does not match with the DPR, the unit holder must be advised to rectify the same before the case is submitted onwards.
- ii. In case, the proposed activity is new and not included in the list of activities on J&K OCMMS, the unit holder should be advised to submit the relevant documents including the DPR in the office of Member Secretary for inclusion of same in J&K OCMMS before submitting the online application.
- iii. Member Secretary will issue order for inclusion of the activity in the JK OCMMS after scrutiny of the case by the Technical Committee constituted for the same and approval of the Competent Authority.

Issued with the approval of Competent Authority

No:- JK PCC/TIC/UCM/EE/2024/175-83

Dt:- 03.08.2024


(Er. J.N. Sharma)
Environmental Engineer


(Ghan Sham Singh) JKAS 3. 8-24
Member Secretary, J&K PCC

Copy for information to the :-

1. Director, Industries & Commerce, Jammu / Kashmir.
2. Regional Director, PCC, Jammu / Kashmir.
3. Environmental Engineer, J&K PCC(Head, Technical Committee)
4. Ms. Neelu Sharma PSO, J&K PCC (Member, Technical Committee)
5. Dr. Sabeena Sultan, Sc 'B', J&K PCC(Member, Technical Committee)
6. Sh. Angrez Singh, AEE (HQ), J&K PCC, Jammu.
7. All Divisional Officer, PCC, Jammu / Kashmir for immediate compliance and with directions not to decide any category of industry or make any correspondence of the same with General Manager, DICs J&K Industries Department of their own. .
8. PA to Chairman, J&K PCC for information of the Chairman.
9. I/c Website for uploading the same in J&K OCMMS / Website.



परिपत्र

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नई दिल्ली ने 7 मार्च, 2016 के निर्देशों के तहत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नए अथवा बचे हुए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण संबंधित पीसीबी/पीसीसी द्वारा सीपीसीबी द्वारा निर्धारित संशोधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना है। J&K PCC ने आदेश संख्या 119 JK PCC of 2023 दिनांक 21.09.2023 के तहत नए/बचे हुए उद्योगों के वर्गीकरण के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं:-


- I. डिवीजनल ऑफिसर्स, पीसीसी, जम्मू/कश्मीर को आवेदकों को सही औद्योगिक श्रेणी और सेक्टर के बारे में सलाह देनी चाहिए, जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रदान की गई गतिविधि की प्रस्तावित लाइन के आधार पर ऑन-लाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय चुना जाना है। यदि चयनित उद्योग की गतिविधि/श्रेणी डीपीआर से मेल नहीं खाती है, तो यूनिट धारक को मामला प्रस्तुत करने से पहले इसे सुधारने की सलाह दी जानी चाहिए।
- II. यदि प्रस्तावित गतिविधि नई है और जम्मू-कश्मीर ओसीएमएमएस पर गतिविधियों की सूची में शामिल नहीं है, तो यूनिट धारक को ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले जम्मू-कश्मीर ओसीएमएमएस में शामिल करने के लिए सदस्य सचिव के कार्यालय में डीपीआर सहित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी जानी चाहिए।
- III. सदस्य सचिव इस कार्यकलाप को जम्मू कश्मीर सहकारी योजना में शामिल करने के लिए गठित तकनीकी समिति द्वारा मामले की संवीक्षा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद आदेश जारी करेंगे।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया

पत्र सं.:- जेके पीसीसी/टी/सी/यूसीएम/ईई/2024/175-83

दिनांक:- 03.08.2024

(इंजीनियर जे.एन.शर्मा)
पर्यावरण इंजीनियर


(घन शाम सिंह) जेकेएसएस
सदस्य सचिव, जम्मू-कश्मीर पीसीसी 10.9.24

जानकारी के लिए कॉपी करें: -

1. निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, जम्मू / क्षेत्रीय निदेशक, पीसीसी, जम्मू/कश्मीर।
2. क्षेत्रीय निदेशक, पीसीसी, जम्मू/कश्मीर।
3. पर्यावरण इंजीनियर, जम्मू और कश्मीर पीसीसी (प्रमुख, तकनीकी समिति)
4. सुश्री नीलू शर्मा पीएसओ, जम्मू-कश्मीर पीसीसी (सदस्य, तकनीकी समिति)
5. डॉ. सबीना सुल्तान, एससी 'बी', जम्मू-कश्मीर पीसीसी (सदस्य, तकनीकी समिति)
6. श्री अंग्रेज सिंह, आईई (मुख्यालय), जम्मू-कश्मीर पीसीसी, जम्मू।
7. सभी मंडल अधिकारी, पीसीसी, जम्मू / कश्मीर तत्काल अनुपालन के लिए और उद्योग की किसी भी श्रेणी का निर्णय नहीं लेने या महाप्रबंधक, डीआईसी जम्मू-कश्मीर उद्योग विभाग के साथ उसी का कोई पत्राचार नहीं करने के निर्देशों के साथ।
8. सभापति की जानकारी के लिए अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर पीसीसी के पीए को नियुक्त किया गया है।
9. I/c वेबसाइट को जम्मू-कश्मीर ओसीएमएमएस/वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।